17.5.17

उच्च सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु प्रकरण नम्बर पर लिया गया। इस हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी हो। मिसल कैम्प ...जावरा... में दिनांक 26.5.17 को पेश हो।

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

26-5-17

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत, न्याय मण्डप के दौर, कैम्प कोर्ट जावरा में पेश हुई। पैरोकार सरपंच उपस्थित। पटवारी हल्का व ग्राम विकास निरीक्षक से मौका रिपोर्ट मजमे आम में प्राप्त की गई। मौका पर्चा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी की मृत्यु होने पर प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.वि. पेश हुआ है जबकि कन्टेम्प्ट प्रार्थना पत्र पर वादी की मृत्यु होने पर उनके वारिसान पर कन्टेम्प्ट लागू नहीं होता है। अतः यह प्रार्थना पत्र 02-22 R 4 CPC खारिज किया जाता है। मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार अपीली सं. 1 से 3 का कब्जा काश्त नहीं है जिन पर कन्टेम्प्ट लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भी चूंकि वाद का आंशिक रूप से निस्तारण किया जा चुका है जिस पर कोई कन्टेम्प्ट लागू नहीं होता है। अतः यह प्रार्थना पत्र इसी सार पर खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर जाब्ता से खत्म है।

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर